

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

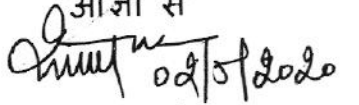
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1093 /2020 दिनांक : ०५.05.2020

श्रीमती रीतु चौधरी (RJ0749), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19, जयपुर महानगर को दिनांक 17.03.2020 से 21.03.2020 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 14.03.2020 से 15.03.2020, 16.03.2020 (स्थानीय अवकाश) एवं 22.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में सदस्यगण, किशोर न्याय बोर्ड, जयपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19, जयपुर महानगर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/32/2013/ 2234

दिनांक 0५.05.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 3191 दिनांक 15.04.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रीतु चौधरी (RJ0749), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19, जयपुर महानगर।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19, जयपुर महानगर।
5. सदस्यगण, किशोर न्याय बोर्ड, जयपुर।


सहायक रजिस्ट्रार